EMAIL/Notice Board
Toll Free No. 1800 11 8888
Phone No. 011-24654691
Fax No. 011-24624731
WebSite:www.ncsc.nic.in
Email: ccell-ncsc@nic.in

Government of India
National Commission for Scheduled Castes
(A Constitutional body set up under Article 338 of the Constitution of India)
*****

No. NCSC-CCEL06/5/2021-UA-(Admin)-[46867]

5th Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003
Dated: 4th January, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Sub:- Minutes of 6th Full Commission Meeting of the NCSC.

Please find enclosed herewith Minutes of 6th Full Commission Meeting of National Commission for Scheduled Castes (NCSC) held on 13th December, 2021 in the NCC Headquarters at 5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi. The same is being forwarded to all concerned for action as at their end.

Encl: As Above

4/1/2022

(Kishan Chand)
Under Secretary to the Govt. of India
Email: kishan.chand68@nic.in

To (through email)-
1. Sr.PPS/PS/PA to Hon'ble Chairman/Vice-Chairman/Member (SRP)/Member (AB), NCSC
2. Sr. PPS/PPS/PA to Secretary/Joint Secretary, NCSC, New Delhi.
3. Joint Secretary (SCD-A & BC), MSJE, New Delhi.
4. All Directors in the NCSC Headquarters and NCSC State Offices.
5. All officials in the NCSC Headquarters and NCSC State Offices.
6. Notice Board.

दिनांक 13.12.2021 को हुई पूर्ण आयोग की छठी बैठक का कार्यवृत्त

आरंभ में, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने 13 दिसम्बर, 2021 को आयोग मुख्यालय में आयोजित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की छठी बैठक के सभी प्रतिभागियों का स्वागत कियाप्रतिभागियों की सूची अनुबंध-I पर है। निम्नलिखित कार्यसूची मदों को चर्चा के लिए लिया गया।

कार्यसूची मद संख्या 1:दिनांक 11.10.2021को आयोजित हुई पूर्ण आयोग की 5वीं बैठक केकार्यवृत्त की पुष्टि।

लिया गया निर्णय: आयोग की 5वीं बैठक के कार्यवृत्त को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

कार्यसूची मद संख्या 2: माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों को सुनवाई के संचालन और सुनवाई के कार्यवृत्त की तैयारी में सहायता प्रदान करने के लिए सहायक स्टाफ का प्रावधान।

लिया गया निर्णय: वर्तमान में, कुछ को-टर्मिनस कर्मचारियों को छोड़कर, सुनवाई के कार्यवृत्त की तैयारी करने के लिए आयोग के माननीय सदस्यों (अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों) की सहायता के लिए समर्पित कर्मचारी उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है। सुनवाई कार्य की वर्तमान व्यवस्था के परिणामस्वरूप सुनवाई के लिए संक्षिप्त विवरण और सुनवाई के कार्यवृत्त की गुणवत्ता के साथ समझौता किया जा रहा है, इसके अलावा सुनवाई के कार्यवृत्त को तैयार करने में अत्यधिक देरी हो रही है।

सुनवाई और कार्यवृत्त तैयार करने को सुव्यवस्थित करने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि आयोग के प्रत्येक सदस्य [अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य] को दो सलाहकार संविदा आधार पर प्रदान किए जाएंगे [एक मंत्रालय/विभाग में काम करने का अनुभव रखने वाले और दूसरा कानूनी पृष्ठभूमि वाले] । चूंकि आयोग के प्रत्येक सदस्य के लिए दो समर्पित सलाहकार उपलब्ध कराने का प्रस्ताव आयोग की स्वीकृत पद संख्या से अधिक है, इसलिए प्रस्ताव का सैद्धांतिक अनुमोदन मंत्रालय से प्राप्त किया जा सकता है। कानूनी पृष्ठभूमि वाले सलाहकार कर्मचारियों का पारिश्रमिक अनुभव के आधार पर 40,000/- रुपए से 60,000/- रुपएके बीच निर्धारित किया जाएगा। दूसरे सलाहकार का पारिश्रमिक व्यय विभाग के दिनांक 09.12.2020के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि इन कर्मचारियों का चयन पद का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।

[कार्रवाई: प्रशासन।]

कार्यसूची मद संख्या 3: अदालती मामलों से निपटने के लिए कर्त्तव्यनिष्ठ कानूनी प्रकोष्ठ की स्थापना ।

लिया गया निर्णय: लगभग 200अदालती मामले ऐसे हैं जिनमें आयोग को एक पक्षकार बनाया गया है। एक प्रतिवादी के रूप में आयोग को फंसाने वाले अदालती मामलों को दायर करने का चलन बढ़ रहा है। चूंकि इन अदालती मामलों से निपटने के लिए आयोग में कोई समर्पित कर्मचारी नहीं है, इसलिए सभी अदालती मामलों को देखने के लिए 2-3कानूनी पेशेवरों के साथ एक कानूनी प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्णय लिया गया ताकि समय पर जवाबी जवाब/प्रत्युत्तर आदि दाखिल करना सुनिश्चित किया जा सके, जैसा भी मामला हो । उनका पारिश्रमिक उनके अनुभव के आधार पर 40,000/- रुपए से 60,000/- रुपएके बीच निर्धारित किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि कानूनी पेशेवरों का चयन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पद का व्यापक प्रचार-प्रसार करके किया जाएगा ताकि आयोग को विशेषज्ञ कानूनी पेशेवर मिल सकें।

[कार्रवाई: प्रशासन।]

कार्यसूची मद संख्या 4: ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल के प्रबंधन के लिए कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति।

लिया गया निर्णय: दिनांक 14 अप्रैल, 2021को डॉ. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की130वीं जयंती के अवसर पर आयोग ने एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया। हालांकि, ऑनलाइन पोर्टल का कार्यान्वयन धीमा है और पोर्टल के सभी मॉड्यूलों को कार्यशील किया जाना है। पोर्टल के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने और पंजीकृत शिकायतों के त्वरित और समय पर कार्रवाई की सुविधा के लिए, अनुबंध के आधार पर 8व्यक्तियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया (6डाटा एंट्री ऑपरेटर, 1 - डॉट नेट डेवलपर और 1 - परियोजना समन्वयक) जैसा कि बीआईएसएजी-एन द्वारा दिनांक 19.07.2021 के अ.शा.पत्र द्वारा प्रस्तावित है । बीआईएसएजी-एन के परामर्श से एनआईसीएसआई, एनआईएसजी आदि जैसी सरकारी एजेंसियों के माध्यम से संविदा के आधार पर ऐसे कर्मचारियों को काम पर रखने का निर्णय लिया गया था।

कार्रवाई: प्रशासन।]

कार्यसूची मद संख्या 5: डाक काउंटर का डिजिटलीकरण।

लिया गया निर्णय: आयोग के सुविधा काउंटर (एफसी) में ऑफ़लाइन या वास्तविक रूप में प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या ऑनलाइन प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या से कहीं अधिक है। नियमित/अत्यावश्यक डाक की आसान पहचान सुनिश्चित करने, संबंधित अनुभाग/मंडल/राज्य कार्यालयों को डाक को आसानी से भेजना सुनिश्चित करने और प्राप्त याचिकाओं पर समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, सुविधा काउंटर के काम को डिजिटल करने का निर्णय लिया गया। चूंकि आयोग के एफसी में जनशक्ति की अत्यधिक कमी है, इसलिए एफसी को डिजिटल बनाने के लिए संविदा के आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय लिया गया कि प्रशासन अनुभाग बीआईएसएजी-एन के परामर्श से एफसी के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए विभिन्न कौशल सेटों के साथ अपेक्षित जनशक्ति को अंतिम रूप देगा और संविदा के आधार पर ऐसे कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए त्वरित कार्रवाई करेगा। एक सेवानिवृत्त यूएस/डीएस स्तर के अधिकारी को इस काउंटर

का नेतृत्व करना चाहिए ताकि यह आयोग के लिए एक रजिस्ट्री के रूप में कार्य कर सके। साथ ही उचित स्थान की पहचान की जाएगी ताकि डाक काउंटर प्रभावी ढंग से कार्य कर सके।

[कार्रवाई: प्रशासन।]

कार्यसूची मद संख्या 6: प्रशासन और ईएसडीडब्ल्यू अनुभाग के लिए सलाहकार (सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी) की नियुक्ति।

लिया गया निर्णय: आयोग में नियमित कर्मचारियों की भारी कमी है। संयुक्त संवर्ग के लगभग 70% पद रिक्त हैं। यहां तक कि अधिकांश पद जिनमें से केंद्रीय सचिवालय सेवा द्वारा संचालित माना जाता है, भी रिक्त हैं। श्री एस. वेंकटेशन, अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) 30.11.2021को सेवानिवृत्त हुए हैं और अब प्रशासन में प्रशासनिक मामलों को देखने के लिए कोई अनुभाग अधिकारी नहीं है। परिणामस्वरूप, भर्ती नियमों में संशोधन, रिक्त पदों को भरना, और अन्य महत्वपूर्ण और समयबद्ध प्रशासनिक कार्य जैसे बहुत से महत्वपूर्ण कार्य लंबित रहते हैं। ईएसडीडब्ल्यू और एसएसडब्ल्यू-। में तैनात अनुसंधान अधिकारी, श्री पी एस मेहता भी 31.12.2021को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यह रिक्ति भी तुरंत भरे जाने की संभावना नहीं है। ऐसे में श्री पी.एस. मेहता के सेवानिवृत्त होने के बाद ईएसडीडब्ल्यू और एसएसडब्ल्यू-। का कार्य भी प्रभावित होने की संभावना है।

यह निर्णय लिया गया कि इन अनुभागों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से स्थापना, प्रशासन के लिए और ईएसडीडब्ल्यू अनुभाग में श्री पी.एस. मेहता के स्थान पर संविदा के आधार पर 3सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को काम पर रखा जाएगा।

[कार्रवाई: प्रशासन]

कार्यसूची मद संख्या 7: ओडिशा के अनुसूचित जाति की सूची में समाविष्ट मांगली समुदाय के संबंध में क्षेत्र प्रतिबंध हटाना।

लिया गया निर्णय: पिछले आयोग की पांचवीं आयोग में भी ओडिशा राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में "मांगली" समुदाय के संबंध में क्षेत्र प्रतिबंध को हटाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया था और सरकार से एक रिपोर्ट मांगने का निर्णय लिया गया था। ओडिशा राज्य के कोरापुट और कालाहांडी जिलों के मूल मांगली समुदाय पर पूरे ओडिशा राज्य में मांगली समुदाय के संबंध में क्षेत्र प्रतिबंध को हटाने के प्रभाव के संबंध में ओड़िशा सरकार सेदिनांक 18.10.2019 के पत्र के माध्यम सेरिपोर्ट मांगी गई है। दिनांक 12.03.2020 को अनुस्मारक भी भेजा गया था। हाल ही में एक और अनुस्मारक दिनांक 09.09.2021 को ओड़िशा सरकार को भेजा गया था। लेकिन अभी तक ओड़िशा सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई और यह निर्णय लिया गया कि ओड़िशा सरकार से रिपोर्ट मिलने के बाद ही रिपोर्ट पर आरजीआई की टिप्पणियों के अनुसार, आयोग प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियों को अंतिम रूप देगा।

[कार्रवाई: एसएसडब्ल्यू]

कार्यसूची मद संख्या 8: राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) के कार्यकाल को 31.03.2022से आगे तीन साल की अवधि के लिए बढ़ाकर 31.03.2025तक करना ।

लिया गया निर्णय: 31.03.2022से आगे तीन साल की अवधि के लिए एनसीएसके के कार्यकाल के विस्तार के प्रस्ताव से सहमत होने का निर्णय लिया गया।

[कार्रवाई: ईएसडीडब्ल्यू]

कार्यसूची मद संख्या 9: एससी महिला संकाय सदस्य के खिलाफ यौन उत्पीड़न के संबंध में डॉ. जी. वेलेंटीना, एसोसिएट प्रोफेसर, सेंटर फॉर इक्विटी एंड सोशल डेवलपमेंट (सीईएसडी), एनआईआरडी पीआर, राजेंद्र नगर, हैदराबाद का अभ्यावेदन।

लिया गया निर्णय: आयोग में डॉ. जी. वेलेंटीना की ओर से उनके कार्यालय में पुरुष सहकर्मी द्वारा यौन उत्पीड़न करने के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। उसके कार्यालय यानी एनआईआरडीपीआर ने एक अनुशासनात्मक समिति का गठन किया और उसकी सेवा समाप्त कर दी। एनआईआरडीपीआर ने डीजी, एनआईआरडीपीआर और सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देते हुए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया है।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, मामले के तथ्यों का पता लगाने के लिए एक जांच समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। इस समिति की अध्यक्षता तेलंगाना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे। तेलंगाना उच्च न्यायालय के महा रजिस्ट्रार से उच्च न्यायालय के तीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का एक पैनल भेजने का अनुरोध किया जाएगा।

[कार्रवाई: एसएसडब्ल्यू]

कार्यसूची मद संख्या 10: आयोग मुख्यालय औरआयोग के राज्य कार्यालय की अनुपयोगी स्टाफ कारों की निलामी

लिया गया निर्णय: एनसीएससी मुख्यालय और एनसीएससी राज्य कार्यालयों के अनुपयोगी वाहनों की निलामी की प्रक्रिया को पूर्ण करने का निर्णय लिया गया। मुख्यालय के वाहनों निलामी के बाद दो नई कारें खरीदने का भी निर्णय लिया गया। यह निर्णय लिया गया कि मौजूदा नीति के अनुसार, एनसीएससी मुख्यालय/राज्य कार्यालयों को जीएफआर, 2017में निहित प्रावधानों का पालन करते हुए मासिक किराये के आधार पर स्टाफ कार किराए पर लेने की अनुमति दी जा सकती है।

[कार्रवाई: प्रशासन]

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

*****

13.12.2021 को आयोजित एनसीएससी की 6ठी पूर्ण आयोग की बैठक में भाग लेने वालों की सूची

क्रमांक	नाम	पदनाम
1.	श्री विजय सांपला	माननीय अध्यक्ष
2.	श्री अरुण हलदर	माननीय उपाध्यक्ष
3.	श्री सुभाष रामनाथ पारधी	माननीय सदस्य
4.	श्रीमती (डॉ.) अंजू बाला	माननीय सदस्य
5.	श्री ज्ञानेश्वर कुमार	संयुक्त सचिव
6.	श्री कौशल कुमार	निदेशक
7.	श्री ए.के. साहू	सलाहकार निदेशक एंड परामर्शदाता
8.	श्री ए. भट्टाचार्य	अनुसंधान अधिकारी, एनसीएससी, राज्य कार्यालय, कोलकाता

MINUTES OF 6TH FULL COMMISSION'S MEETING OF NCSC HELD ON 13.12.2021

Hon'ble Chairman, NCSC at the outset, welcomed all the participants of 6th Meeting of the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) held on 13th December, 2021 in the NCSC Headquarters. List of participants is at Annexure-I. The following Agenda items were taken up for discussion.

Agenda Item No. 1: Confirmation of minutes of the 5th meeting of the Commission held on 10.10.2021.

Decision Taken: Minutes of the 5th Meeting of the Commission were approved unanimously.

Agenda-2: Provision for supporting Staff to Hon'ble Members (Chairman/Vice-Chairman/ Members) of the Commission for providing assistance in conducting hearing & preparation of Minutes of Hearing.

Decision Taken: At present, there is no provision for providing dedicated staff to assist Hon'ble Members (Chairman/Vice-Chairman/Members) of the Commission in hearing, preparation of Minutes of hearing except a few co-terminus staff. The present arrangement of hearing work is resulting in compromising with the quality of brief for hearing & minutes of hearing, besides inordinate delay in preparation of minutes of hearing.

In order to streamline hearing & preparation of minutes, it was decided that each member of the Commission [Chairman/Vice-Chairman/ Members] willbe providedtwoconsultants [one having experience of working in Ministry/Department and another with legal background] on contract basis. As proposal of providing two dedicated consultants for each Members of the Commission is over and above the sanctioned strength of the Commission, in principle approval of the proposal may be obtained from the Ministry. Remuneration of consultant staff with legal background will be fixed in the range of Rs.40,000/- to Rs.60,000/- depending upon the experience. Remuneration of another consultant will be fixed in accordance with Department of Expenditure OM dt-09.12.2020. It was also decided that selection of these staff will be done in a fair and transparent manner giving wide publicity of the post.

[Action: Admn.]

Agenda Item No. 3:Setting up dedicated Legal Cell to deal with court cases.

Decision Taken: There are nearly 200 court cases wherein the Commission have been made a party. The trend of filing court cases impleading Commission as a respondent is on the rise. As there is no dedicated staff in the Commission to deal with thesecourtcases, it was decided to set up a legal cell with 2-3 legal professionals to monitor all the court cases and ensure timely filing of counter reply/rejoinder etc., as the case may be. Their remuneration will be fixed in the range of Rs.40,000/- to Rs.60,000/- depending upon their experience. It was also decided that selection of legal professionals may be done in a fair & transparent manner giving wide publicity of the post so that the Commission may get quality legal professionals.

[Action: Admn.]

Agenda Item No. 4: Engagement of skilled manpower for management of e-Grievance Management Portal.

Decision Taken: On 14th April, 2021 on the occasion of 130th Birth Anniversary of Dr. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar, the Commission launched an Online Grievance Management Portal. However, implementation of the on-line portal is slow and all modules of the portal are yet to become functional. In order to ensure optimum utilization of the portal and to facilitate quick and timely processing of the registered complaints, it was decided to hire 8 persons on contract basis (6 Data Entry Operators, 1 – Dot Net Developer and 1 – Project Coordinator) as proposed by BISAG-N vide D.O. letter dt-19/07/2021.It was also decided to hire such manpower on contract basis through Govt. agencies viz. NICSI, NISG etc in consultation with BISAG-N.

Action: Admn.]

Agenda Item No. 5: Digitization of DAK Counter

Decision Taken: Number of complaints/grievances that are received in Facilitation Counter (FC) of the commission in offline or physical mode is much more than the number of complaints/grievances which are received online. In order to ensure easy identification of routine/urgent DAK, easy transmission of DAK to the section/division/state offices concerned and to ensure timely action on the petitionsreceived, it was decided to digitalize work of the facilitation counter. As there is acute shortage of manpower in theFC of the Commission, it was decided to hire manpower on contract basisto digitalize the FC.It was decided that the administration section will finalize the requisite manpower with different skill sets for complete digitalization of the FCin consultation with BISAG-N and will take

prompt action to hire such manpower on contract basis.A retired US/DS level officer should head this Counter so that it can function as a Registry for the Commission. Also,proper space will be identified so that DAK counter can function effectively.

[Action: Admn.]

Agenda Item No. 6: Engagement of Consultants (Retd. Govt. Servants) for Admin. Division & ESDW.

Decision Taken: There is acute shortage of regular staff in the Commission. Around 70% posts of the joint cadre are vacant. Even majority of posts which are supposed to be manned by the Central Secretariat Service are also vacant. Shri S.Venkatesan, Section Officer (Admin.) retired on 30/11/2021 and now there is no Section Officer in Admin. to look after establishment matters. As a result, lots of important work like revision of recruitment rules, filling up of vacant posts, and other important & time-bound administrative works remain pending. Shri P.S. Mehta, Research Officer (ESDW and SSW-I) is also retiring on 31/12/2021. This vacancy is also not likely to get filled immediately. As such the work of ESDW and SSW-I is also likely to suffer after retirement of Shri P.S. Mehta.

It was decided that 3 retired Government Servants will be hired on contract basis for establishment, administration and in place of Shri P.S. Mehtain a fair and transparent manner to ensure smooth functioning of these sections.

[Action: Admn.]

Agenda Item No. 7: Removal of area restriction i.r.o. "*Mangali*" community in list of SCs of Odisha State.

Decision Taken: The proposal justifying removal of area restriction in respect of "Mangali" community in the list of SCs for the Odisha State was considered in 6th full Commission meeting of the previous Commission and it was decided to seek a report from Govt. of Odisha with regard to impact of removing the area restriction in respect of Mangali community in the entire State of Odisha on the original Mangali community of the Koraput and Kalahandi districts of the State of Odisha. Accordingly, a report was sought from Govt. of Odisha vide letter dated-18.10.2019. A reminder was also sent on 12.03.2020. Recently one more reminder was sent to Govt. of Odisha on 09.09.2021. But untilnow, no reply has been received from the Govt. of Odisha. The proposal was discussed in detail and it was decided that only after getting thereport from Govt. ofOdisha and comments of RGI on the report, the Commission would finalize its comments on the proposal.

[Action: SSW]

Agenda Item No. 8: Extension of tenure of National Commission for Safai Karamcharis (NCSK) beyond 31.3.2022 for period of three years i.e.,up to 31.3.2025.

Decision Taken: It was decided to agree with the proposal for extension of tenure of NCSK for a period of three years beyond 31.03.2022.

[Action: ESDW]

Agenda Item No. 9. Representation of Dr. G. Valentina, Associate Professor, Centre for Equity and Social Development (CESD), NIRD PR, Rajendra Nagar, Hyderabad regarding sexual harassment against SC woman faculty member.

Decision Taken: A complaint was received in the Commission from the Dr. G. Valentina regarding sexual harassment by her office male colleague. Her office i.e. NIRDPR, constituted a disciplinary committee and terminated her service. The NIRDPR has obtained a stay order from Hon'ble High Court of Delhi exemptingDG, NIRDPR and Secretary, MoRDfrom personal appearance before the Commission.

After detaileddeliberation, it was decided to constitute an Enquiry Committee to ascertain facts of the case.This committee will be headed by a retired High Court Judge from Telangana High Court. Registrar General of Telangana High Court will be requested to send a panel of three retired Judges of the High Court.

[Action: SSW]

Agenda Item No. 10. Condemnation of unserviceable staff cars in NCSC Hqrs. and State Offices of NCSC

Decision Taken: It was decided to complete the process of condemnation of unserviceable vehicles of NCSC HQ. and NCSC State Offices. It was also decided to purchase two new cars after condemnation of the vehicles of the HQ. It was decided that as per extant policy, the NCSC Hqrs. /State Offices can be permitted to hire Staff Cars on monthly rental basis following provisions contained in GFR, 2017.

[Action: Admn.]

Meeting ended with vote of thanks.

*****

LIST OF PARTICIPANTS IN THE 6TH FULL COMMISSION'S MEETING OF THE NCSC HELD ON 13.12.2021

Sl. No.	Name	Designation
1.	Shri Vijay Sampla	Hon'ble Chairman : in Chair
2.	Shri Arun Halder	Hon'ble Vice Chairman
3.	Shri Subhash Ramnath Pardhi	Hon'ble Member
4.	Smt (Dr.) Anju Bala	Hon'ble Member
5.	Shri Gyaneshwar Kumar	Joint Secretary
6.	Shri Kaushal Kumar	Director
7.	Shri A.K. Sahu	Consultant
8..	Shri A. Bhattacharyya	Research Officer, NCSC, Kolkata S.O.